न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/478
मुकदमा नम्बर 168/2024

दर्ज दिनांक– 18.10.2024

संजय शर्मा पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 10 नवलगढ ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री सम्पत सिंह शेखावत
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 20.01.2025**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 524 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1196 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 1198 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 1199 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 1200 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1202 रकबा 3.19 है0, खसरा नं. 1213 रकबा 1.33 है0, खसरा नं. 1215 रकबा 0.12 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.89 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संजय शर्मा का हिस्सा 3/25दर्ज था। प्रार्थी संजय शर्मा ने अपने हिस्से 3/25 में से 1/50 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र नरोतमलाल पुत्र गोविन्दराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र, हक त्याग कर दिया। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से 3/25 में से 1/50 हिस्सा हकत्याग करने पर प्रार्थी का 1/10 हिस्सा शेष बचता है। लेकिन नामान्तकरण सं. 3439 दिनांक 25.07.2022 में ऋुटीवशप्रार्थी संजय शर्मा का सम्पूर्ण हिस्सा 1/10 नरोतमलाल के हिस्से मे दर्ज हो गया तथा नरोतमलाल का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में 1/5 दर्ज हो गया व प्रार्थी का नाम खातेदारी से हट गया, जबकि प्रार्थी के हकत्याग करने के पश्चात् 1/10 हिस्सा शेष बचता है जो जमाबन्दी में दर्ज होना चाहिए था। इसलिये प्रार्थी के हिस्से 1/10 की भूमि ऋुटीवश नरोत्तमलाल पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज हुई है जो दुरूस्त करते हुये प्रार्थी संजय शर्मा पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 10 नवलगढ के नाम दर्ज की जावे तदनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी जारी की गई। प्रकरण में तहसीलदार नवलगढ के पत्रांक/भू.अ./2024/5485 दिनांक 18/11/2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र पोषणीय व न्योयोचित होना साबित हुआ है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से आवेदक का प्रा. पत्र बाबत् दुरूस्ती साबित है। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नवलगढ पटवार हल्का नवलगढ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 524 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1196 रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 1198 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 1199 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 1200 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1202 रकबा 3.19 है0, खसरा नं. 1213 रकबा 1.33 है0, खसरा नं. 1215 रकबा 0.12 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 4.89 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी संजय शर्मा का हिस्सा 3/25दर्ज था। प्रार्थी संजय शर्मा ने अपने हिस्से 3/25 में से 1/50 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र नरोतमलाल पुत्र गोविन्दराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र, हक त्याग कर दिया। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से 3/25 में से 1/50 हिस्सा हकत्याग करने पर प्रार्थी का 1/10 हिस्सा शेष बचता है। लेकिन नामान्तकरण सं. 3439 दिनांक 25.07.2022 में त्रुटीवश प्रार्थी संजय शर्मा का सम्पूर्ण हिस्सा 1/10 नरोतमलाल के हिस्से मे दर्ज हो गया तथा नरोतमलाल का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में 1/5 दर्ज हो गया व प्रार्थी का नाम खातेदारी से हट गया, जबकि प्रार्थी के हकत्याग करने के पश्चात् 1/10 हिस्सा शेष बचता है जो जमाबन्दी में दर्ज होना चाहिए था। इसलिये यह जाहिर है की, प्रार्थी के हिस्से 1/10 की भूमि त्रुटीवश नरोत्तमलाल पुत्र गोविन्दराम के नाम दर्ज हुई है जो दुरूस्त करते हुये प्रार्थी संजय शर्मा पुत्र गोविन्दराम जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 10 नवलगढ के नाम दर्ज की जावे तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक/भू.अ./2024/5485 दिनांक 18/11/2024 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक **20.01.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू